



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49692-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध रिट याचिका संख्या - 3669 वर्ष 2026

सतीश कुमार गोयल और एक अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : राहुल सहाय, सौमित्र आनंद, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : राजकीय अधिवक्ता, प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा और श्री अवनीश त्रिपाठी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री आशीष कुमार गुप्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. सर्वप्रथम, विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में, अन्वेषण पहले ही पूर्ण हो चुका है और 05.10.2026 को याचीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता पूर्वोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने कथन किया कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और उचित प्रक्रम पर उचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेने की मांग करते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. दिए गए कथन के दृष्टिगत, इस रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

मार्च 11, 2026

जफर

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।